भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना/अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण

1058. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस और अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ख) चालू वित्त वर्ष के लिए कितना बजटीय आवंटन प्रस्तावित है और विभिन्न राज्यों को आज की तिथि तक आईसीडीएस के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है; और
- (ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण अतिरिक्त लागत को पूरा करने हेतु वर्तमान निधि आवंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित, निर्मुक्त तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I से IV में दिया गया है।

बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) प्रस्ताव के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

□आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषण□ विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे | अनुलग्नक -। जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण

(रूपए लाखों में)

क्र.सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र		(रूपए लाखों में) 2017-18 के दौरान निर्मुक्त निधियां						
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य)				
		अनुमोदित	निर्मुक्त की गई	प्रयुक्त की गई	अनुमोदित	निर्मुक्त की	प्रयुक्त की गई		
		एपीआइपी	निधियां	निधियां	एपीआइपी	गई निधियां	निधियां		
1	आंध्र प्रदेश	32916.43	31596.87	29420.29	22222.12	24629.79	22012.06		
2	बिहार	54423.27	53741.97	59979.55	38381.93	35851.96	24204.64		
3	छत्तीसगढ	22699.81	25724.9	22905.04	19351.46	28345.16	28100.38		
4	गोवा	664.6	1011.2	1006.72	530.03	585.64	517.4		
5	गुजरात	28235.82	38496.97	38012.71	21604.78	21581.54	19675.44		
6	हरियाणा	6342.75	3945.75	3605.39	10888.88	13601.08	10648.12		
7	झारखंड	25140.96	25347.42	25347.42	16057.34	14879.45	8157.92		
8	कर्नाटक	45222.48	56009.24	50008.99	26394.44	32177.98	38020.58		
9	केरल	8296	10976.6	10977.18	14255.09	20186.77	18103.8		
10	मध्य प्रदेश	55724.11	66775.88	67623.32	38534.69	46683.69	41044.11		
11	महाराष्ट्र	49665.28	41445.78	58718.77	44035.79	58469.85	51980.09		
12	ओडिशा	35698.64	47316.24	44358.57	28603.34	34543.96	27505.26		
13	पंजाब	6144.75	5282.25	808.74	10965.67	13998.21	8816		
14	राजस्थान	28939.88	34931.86	36660.76	23913.52	30339.08	21525		
15	तमिलनाडू	28651.21	33186.7	33211.48	17790.77	14394.25	14339.27		
16	तेलंगाना	18076.35	18130.74	19005.85	14347.47	18905.07	18831.04		
17	उत्तर प्रदेश	165244.43	129353.52	77776.61	70772.24	80279.47	40917.54		
18	पश्चिम बंगाल	47617.5	67697.94	81324.81	45755.55	27805.04	-12283.61		
19	दिल्ली	6762.17	4051.41	763.89	6278.02	6560.53	-780.79		
20	पुददुचेरी	348.12	851.02	851.02	421.65	590.88	590.88		
21	हिमाचल प्रदेश	5366.32	5795.63	5795.62	11828.07	14898.51	15249.1		
22	जम्मू और कश्मीर	4257.02	4035.17	-3195.48	20305.29	14383.93	14541.83		
23	उ त्तराखंड	11392.44	15212.13	16734.26	11226.46	11666.46	10194.2		
24	अंडमान और निकोबार	284.57	284.57	284.57	501.85	974.13	974.13		
25	चंडीगढ़	592.09	592.09	592.09	339.162	471.88	471.88		
26	दादर व नागर हवेली	129.89	129.89	129.89	186.12	182.9	182.9		
27	दमन और दीव	130.83	130.83	130.83	66.373	139.28	139.28		
28	लक्षद्वीप	77.12	85.35	85.35	76.375	39.46	39.46		
29	अरूणाचल प्रदेश	4085.14	4035.02	3435.74	4184.17	8218.4	7347.02		
30	असम	35875.31	31554.71	17113.82	37084.11	37115.73	23497.78		
31	मणिपुर	3914.63	5244.2	3323.32	6797.25	10284.52	5454.4		
32	मेघालय	9422.19	12238.89	12306.83	3326.62	5466.89	4125.93		
33	मिजोरम	2000.25	1539.37	1140.09	1415.31	3416.45	3127.52		
34	नागालैंड	6902.3	7000.08	6422.66	2214.17	6816.95	6128.98		
35	सिक्किम	632.47	481.21	180.76	793.03	1426.33	1125.88		
36	त्रिपुरा	6650.22	6456.59	6749.82	6084.74	6381.42	5741.05		
	कुल	758527.35	790689.99	733597.28	577533.88	646292.64	480266.47		

नोट : (1). पिछले वर्ष में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अपव्यय / अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद अनुमोदित आवंटन से निधियां निर्मुक्त की गई है

⁽²⁾ ऋणात्मक निधि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के साथ उपलब्ध अपव्यय राशि को दर्शाता करता है

⁽³⁾ प्रयुक्त निधि पिछले वर्ष की अपव्यय राशि के उपलब्धता के कारण जारी / अनुमोदित आवंटन से अधिक हैं एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

((रूपए लाखों में)

_		((रूपए लाखों में)							
क्र.सं	राज्य /संघ राज्य		2018-19 के दौरान निर्मुक्त निधियां						
	क्षेत्र	एसएनपी आईसीडीएस (सामान्य)							
		अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां		
1	आंध्र प्रदेश	39530.13	37353.55	36412.22	28884.89	32895.05	27789.58		
2	बिहार	70750.25	76987.83	74301.2	47613.06	36974.64	39823.31		
3	छत्तीसगढ	27099.81	24279.95	20252.58	23943.28	28735.52	28735.52		
4	गोवा	863.98	859.5	844.9	721.02	778.06	621.47		
5	गुजरात	32535.82	32051.56	23392.34	25716.23	29206.4	32295.14		
6	हरियाणा	7645.58	7305.22	4195.22	13080.7	13276.2	11679.89		
7	झारखंड	29083.25	29083.25	27373.26	19003.49	18797.43	16865.29		
8	कर्नाटक	49589.22	43588.97	38759.92	31161.5	43506.22	25101.72		
9	केरल	10784.8	10785.38	13006.73	15699.34	17058	14631.48		
10	मध्य प्रदेश	63241.34	64088.78	65209.8	47132.09	50633.1	37433.09		
11	महाराष्ट्र	55055.2	106535.22	76557.08	50947.2	56705.31	43698.32		
12	ओडिशा	46408.23	43450.56	44825.99	32117.23	33841.79	33443.35		
13	पंजाब	7488.18	3744.1	5327.15	12981.63	13411.95	13877.81		
14	राजस्थान	33221.84	34950.74	29599.82	27873.05	29085.81	27522.08		
15	तमिलनाडू	37246.57	37271.35	36839.02	23379.78	26488.7	17400.46		
16	तेलंगाना	21170.5	22045.61	21398.84	17816.79	21257.53	19260.18		
17	उत्तर प्रदेश	156155.99	104579.08	150232.24	80195.01	85548.34	73011.82		
18	पश्चिम बंगाल	54420	68046.87	67871.56	51081.49	54839.34	28286.44		
19	दिल्ली	6762.17	3474.65	5609.01	5479.59	5457.19	4085.32		
20	पुददुचेरी	0	0	0	447.65	452.11	163.33		
21	हिमाचल प्रदेश	6976.22	6976.21	6957.88	18179.26	24112.44	17038.94		
22	जम्मू और कश्मीर	4257.02	2128.5	7330	29614	34361.46	30376.57		
23	उत्तरा खंड	12090.44	13612.57	15423.98	17648.3	18465.2	16712.74		
24	अंडमान और	369.94	369.94	298.46	756.8	883.04	883.04		
25	निकोबार · ১	760.72	769.72	769.72	553.9	624.14	624.14		
25	चंडीगढ़	769.72 168.86	168.86	168.86	300.97	634.14 354.23	634.14 354.23		
26	दादर व नागर हवेली	108.80	100.80	108.80	300.97	334.23	334.23		
27	दमन और दीव	170.08	170.08	170.08	76.45	97.13	97.13		
28	लक्षद्वीप	100.26	100.26	100.26	169.44	245.2	245.2		
29	अरूणाचल प्रदेश	5010.68	4411.4	4470.65	7528.29	7375.84	9671.02		
30	असम	45037.9	30597.01	34050.78	50802.45	49561.1	57546.8		
31	मणिपुर	5089.02	7134.08	4465.34	9709.45	8892.39	16712.74		
32	मेघालय	10468.21	12364.04	12364.04	5613.68	4996.77	5912.73		
33	मिजोरम	2242.64	1843.36	1817.23	2544.32	2493.46	2475.98		
34	नागालैंड	7588.35	8231.2	6906.86	4828.28	3721	5674.74		
35	सिक्किम	751.11	450.66	484.4	1430	1500.36	1500.36		
36	त्रिपुरा	7488.55	7781.78	7781.78	8940.65	9406.72	7951.4		
	. कुल	857631.86	847591.84	845569.2	713971.26	766049.17	669513.36		

नोट : (1). पिछले वर्ष में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अपव्यय / अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद अनुमोदित आवंटन से निधियां निर्मुक्त की गई है

(2) दिनांक 01.10.2018 से एड्ब्ल्युडब्ल्यू/एड्ब्ल्युएच के मानदेय की दर में वृद्धि के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि स्वीकृत आवंटन से अधिक जारी की जाती है।

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषणा विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक -III अनुलग्नक -II

(रूपए लाखों में)

(रूपए लाखों में) 201 8-19 के दौरान निर्मृक्त निधियां							
क्र.सं .	राज्य /संघ राज्य		एसएनपी		आईसीडीएस (सामान्य)		
,.	क्षेत्र	अनुमोदित	निर्मुक्त की गई	प्रयुक्त की गई	अनुमोदित	निर्मुक्त की गई	प्रयुक्त की गई
		एपीआइपी	निधियां	निधियां	एपीआइपी	निधियां	निधियां
1	आंध्र प्रदेश	35844.15	32726.24		36778.6	29729.92	
2	बिहार	77825.28	76100.71		63915.2	47936.4	
3	छत्तीसगढ	29809.79	20930.7		33243.8	24932.85	
4	गोवा	845.46	826.38		912.18	684.14	
5	गुजरात	35789.4	33671.97		32581.23	32422.06	
6	हरियाणा	8410.14	4205.09		17475.56	13106.67	
7	झारखंड	31991.58	22959.33		25608.28	19206.2	
8	कर्नाटक	54548.14	42657.55		41895.96	31421.97	
9	केरल	11863.28	14085.21		22766.91	17534.3	
10	मध्य प्रदेश	69565.47	71534.93		60763.99	45572.99	
11	महाराष्ट्र	60560.72	78949.43		66783.74	50087.82	
12	ओडिशा	51049.06	49466.82		44570.7	33428.03	संबंधित राज्यों
13	पंजाब	8237	5346.54		18657.52	13993.14	/ संघ राज्य
14	राजस्थान	36544.02	29913.62	संबंधित राज्यों /	37642.03	28231.53	क्षेत्रों से
15	तमिलनाडू	39331.66	37341.72	संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग	33477.59	25108.19	उपयोग प्रमाणपत्र /
16	तेलंगाना	23287.55	22519.69	प्रमाणपत्र / व्यय	24058.55	21987.17	व्यय का
17	उत्तर प्रदेश	171771.59	148686.46	का विवरण प्राप्त	109850.13	82387.61	विवरण प्राप्त
18	पश्चिम बंगाल	59862	59862	करने के बाद वर्ष	68091.96	51068.97	करने के बाद
19	दिल्ली	7438.39	4425.64	2020-21 दौरान	11431.13	8573.36	वर्ष 2020-21
20	पुददुचेरी	0	0	निर्मुक्त निधि में	604.21	453.16	दौरान निर्मुक्त
21	हिमाचल प्रदेश	7673.84	7655.5	वर्ष 2019-20 की अपव्यय राशि /	22201.73	16651.3	निधि में वर्ष 2019-20 की
22	जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड	4682.72	2341.36	अतिरिक्त व्यय को	37701.07	28275.8	अपव्यय राशि
23	अंडमान और	13299.48	13308.15	समायोजित किया	21470.94	16103.22	/ अतिरिक्त
24	जडमान जार निकोबार	406.94	227.44	जाएगा।	994.91	902.54	व्यय को
25	चंडीगढ़	846.69	327.44 705.52		765.79	802.54 622.16	समायोजित
26	दादर व नागर हवेली	185.74	185.75		375.9	375.9	किया जाएगा।
27	दमन और दीव	187.09	139.88		127.45	121.59	
28	लक्षद्वीप	110.28	55.14		95.78	71.84	
29	अरूणाचल प्रदेश	3830.67	2332.96		10187.2	9472.2	
30	असम	49541.69	49541.69		63171.81	57539.63	
31	मणिपुर	9960.45	4980.21		14238.09	10678.57	
32	मेघालय	11515.03	11582.97		7049.75	6624.75	
33	मिजोरम	2466.9	2041.49		3422.38	2566.79	
34	नागालैंड	7967.69	7390.27		6370.59	7636.36	
35	सिक्किम	582.82	291.42		2182.15	1636.62	
36	त्रिपुरा	8979.7	7028.04		11799.79	8849.84	
	कुल	936812.41	866117.82		953264.6	745895.59	

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम

क्र.सं र	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 के दौरान निर्मुक्त निधियां (31.08.2020 तक)				
		एसए		आईसीडीसी (सामान्य)		
		अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	
1 आं६	ध्र प्रदेश	37473.16	14031.52	39873.84	11670.0	
2 बिह	गर	85607.81	32500.9	79313.7	20622.8	
3 ਲੁਰੀ	ोसगढ़	32790.77	7965.25	33870.8	9160.8	
4 गोव	п	881.76	206.61	1285.37	182.4	
⁵ गुज	ारात	39368.34	14504.7	32465.82	10780.	
6 हरि	याणा	9251.15	2172.61	16977.41	5289.	
7 झार	रखंड	35190.74	8672.4	26459.84	7084	
8 कर्न	र्गाटक	59944.17	10664.4	40205.33	8379	
9 केर	ਲ ਲ	13049.61	5437.34	23197.38	7020.4	
10 ਸੁध	य प्रदेश	76522.02	30221.8	62419.6	18643.	
11 महा	ाराष्ट्र	66616.79	27470.92	66818.56	20357.	
12 ओर	डेशा	51279.05	20762.21	44976.91	13614.	
13 पंज	ाब	9060.70	1336.65	16596.86	3731	
14 राज	स्थान	40198.42	13321.07	37836.08	11487.	
¹⁵ ਰਿ	मेलनाडु	39852.62	15768.29	32395.03	10123.	
16 ਜੇਕਂ	गाना	22487.67	7503.82	23957.08	6851	
17 उत्तर	र प्रदेश	188948.75	65307.89	106996.83	27073.	
18 पश्चि	धेम बंगाल	65848.20	25441.35	67822.24	20733.	
19 दिल	न्ली	7185.75	2074.01	10931.52	2636	
20 पुदुः	चेरी	0.00	0	555.58	162.	
21 हिम	गचल प्रदेश	8441.22	1913.88	24591.84	6264.	
22 ਤੁਸ	मू व कश्मीर	4682.72	829.22	39620.25	9017.	
23 उत्तर	राखंड	14629.43	5655.16	23445.95	4951.	
24 अंड	मान व निकोबार	406.43	115.74	1155.01	288	
25 चंडी	गढ़	633.26	176.37	616.57	156.	
	र व नगर हवेली एवं न व दीव	410.11	81.42	511.68	108.	
27 लद्दा	ाख	554.23	13.8	1694.07	19.	
28 ਕੁ	ाद <u>्</u> वीप	121.31	146.34	127.78	1460.	
29 अरू	णाचल प्रदेश	4001.44	1111.09	11246.92	2546.	
30 अस	ाम ।	54495.86	21055.2	63289.83	20355.	
31 ਸਹਿ	गेपुर	8771.49	1245.06	15507.42	2847.	
32 मेघ	ालय	11707.34	2895.75	6965.8	2015.	
33 मि	जोरम	2713.59	906.61	3874.83	1076.	
34 नाग	ग लैंड	8233.04	3149.53	6921.27	2347.	
35 सिन	क् कम	606.45	72.87	2169.57	436.	
³⁶ त्रिपु	ु रा	8670.68	1757.01	11488.99	2359.	
	कुल	1010636.078	346488.79	978183.56	271857.	

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम